उपखण्ड अधिकारी महोदय, राजकीय, दौरे
पर होने/प्रोटोकाल राज कार्य
व्यस्त होने के कारण दिनांक 30/8/24
के राजस्व मुकदमात में आगामी तारीख
पेशी दिनांक 22/9/24 .....
नियत की जाती है।

2/9/24 पत्रावली अति पुरानी है। बार-बार
आवान लगवाने के बावजूद तृतीय
अथवा वकील तृतीय अनुपस्थित। अब
न्यायालय का सख्त संकेत है मुकदमे, अतः
पत्रावली एक तरफा व एक तरफा पैरवी
के खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नियमानुसार एवं
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.09.04 17:08:04 IST
Reason: SelfAttested